18060
28-9-2021

संख्या–1789/33–3–2021–4/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायती राज, अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक 25 सितम्बर, 2021

विषय:– 02 अक्टूबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 के मध्य सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना (जी.पी.डी.पी.) तैयार किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 –डी.ओ.नं. एम–11/2/2021–सी.बी., दिनांक 06 अगस्त, 2021 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 के मध्य "जन योजना अभियान" के आयोजन तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 की नियोजन प्रकिया प्रारम्भ करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिगत 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 विषयों को सम्मिलित कर ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.), क्षेत्र पंचायत द्वारा ब्लाक पंचायत विकास योजना (बी.पी.डी.पी.) तथा जिला पंचायत द्वारा जिला पंचायत विकास योजना (डी.पी.डी.पी.) बनाये जाने के निर्देश प्रदान दिए गए है।

Copy 1453
DD(P.)
निदेशक
27/9/21

2– उक्त हेतु नियोजन की प्रक्रिया ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत स्तर पर निम्न प्रकार से प्रारम्भ की जायेगी–

(1) ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत समस्त विभागों के ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी की उपस्थिति दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 के मध्य होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित् की जाये, ताकि ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का उचित आंकलन किया जा सके। आवश्यकताओं एवं समस्याओं के आंकलन हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा गत् वर्ष 'मिशन अंत्योदय' अन्तर्गत एकत्र किये गये प्रत्येक ग्राम पंचायत की संरचनात्मक, आर्थिक एवं मानव विकास के सूचकांकों के आधार पर पाये गये क्रिटिकल गैप के आधार पर वार्षिक कार्ययोजना बनाई जाये व उसका ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

RGSA

(प्रवीणा चौधरी)
उप निदेशक (पं0)
पंचायती राज उ0 प्र0।
27.9.2021

(2) क्षेत्र एवं जिला पंचायत स्तर पर– क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के परियोजनागत प्रस्ताव जिन्हें योजना में सम्मिलित किया जाना है, निर्धारित प्रपत्र में तैयार किये जायेंगे। क्षेत्र पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित की जाने वाली गतिविधियों का चयन क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना के आधार पर तथा जिला पंचायत की गतिविधियों का चयन जिले की क्षेत्र पंचायतों की कार्ययोजना के आधार पर किया जाये।

(3) क्षेत्र एवं जिला पंचायतों द्वारा अपनी विकास योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों/विषयों को प्राथमिकता दी जा सकती है:–

- विकासात्मक आवश्यकताओं पर केंन्द्रित योजना।
- दो से अधिक ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों को लाभ पहुंचाने वाले कार्य।

Amit Sri.

- सामाजिक विषयों से संबंधित गतिविधियों को कार्ययोजना का अनिवार्य हिस्सा बनाना।
- स्त्री–पुरूष समानता के प्रति जिम्मेदार योजना।
- सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDG) पर आधारित योजना।
- स्वच्छता, जल आपूर्ति, खेल के मैदान विकसित करने जैसी बुनियादी सेवाओं पर ज़ोर देना।
- जिला तथा क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए बुनियादी ढ़ांचे का विकास और रख–रखाव।

3– ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा से, क्षेत्र पंचायत स्तर पर क्षेत्र पंचायत योजना समिति से तथा जिला पंचायत स्तर पर जिला पंचायत योजना समिति से अनुमोदन के पश्चात् ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.)/क्षेत्र पंचायत विकास योजना (बी.पी.डी.पी.)/जिला पंचायत विकास योजना (डी.पी.डी.पी.) के नियोजन की प्रक्रिया के अनुश्रवण हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विशेष पोर्टल www.gpdp.nic.in भी विकसित किया गया है।

4– उक्त के क्रम में दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 के मध्य वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्ययोजना (जी.पी.डी.पी./बी.पी.डी.पी./डी.पी.डी.पी.) तैयार करने हेतु निम्न समय–सारिणी के अनुसार गतिविधियों का कार्यान्वयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित् किया जाए–

(1) ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) निर्माण हेतु–

क्र0	गतिविधियॉ	समयावधि
1.	नोडल अधिकारियों की (राज्य/जनपद/विकास खण्ड पर) नियुक्ति तथा सभी नोडल अधिकारियों का वेब पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना।	दिनांक 25 सितम्बर, 2021 तक
2.	ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन।	25 सितम्बर, 2021 तक
3.	जनपद स्तर से ग्राम सभा के आयोजन एवं उसमें अधिकारी/कर्मियों की उपस्थिति की समय–सारिणी निर्गत करना तथा जी.पी.डी.पी. पोर्टल पर ग्राम सभा की समय–सारिणी अपलोड किया जाना।	दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक
4.	4.1. वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की दो बैठकों का अनिवार्य रूप से आयोजन।	दिनांक 02 अक्टूबर से 15 दिसम्बर, 2021 तक
	4.2. ग्राम सभा की प्रथम बैठक में गत् वर्ष के "मिशन अन्त्योदय" सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण, वित्तीय एवं अन्य उपलब्ध संसाधनों का विवरण दिया जाना एवं आवश्यक आवश्यकताओं का निर्धारण/ चिन्हीकरण।	
	4.3. ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधन तथा गत् वर्ष के "मिशन अन्त्योदय" के सूचकांकों के अनुसार आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए ड्राफ्ट कार्ययोजना तैयार करना एवं उसका ग्राम सभा की द्वितीय बैठक में अनुमोदन कराया जाना।	

Amit Srl.

	4.4. ग्राम सभा की जियो–टैग फोटो अपलोड किया जाना।	ग्राम सभा की बैठक आयोजन के तुरंत बाद।
5	प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन सूचना बोर्ड (पी.आई.बी.) लगाया जाना।	दिनांक 30 अक्तूबर, 2021 तक
6	अंतिम रूप से अनुमोदित कार्ययोजना को ई–ग्रामस्वराज पर अपलोड किया जाना।	31 जनवरी, 2022 तक

(2) क्षेत्र पंचायत विकास योजना (बी.पी.डी.पी.) निर्माण हेतु

क्र0	गतिविधियाँ	समयाविधि
1.	क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना पर विचार–विमर्श उपरान्त क्षेत्र पंचायत योजना समिति से अनुमोदित कार्ययोजना को ई–ग्रामस्वराज पर अपलोड किया जाना।	नवम्बर, 2021 से जनवरी 2022 अंत तक।

(3) जिला पंचायत विकास योजना (डी.पी.डी.पी.) निर्माण हेतु

क्र0	गतिविधियाँ	समयाविधि
1.	जनपद की क्षेत्र पंचायतों की कार्ययोजना पर विचार–विमर्श उपरान्त जिला पंचायत योजना समिति से अनुमोदित कार्ययोजना को ई–ग्रामस्वराज पर अपलोड किया जाना।	दिसंबर, 2021 से जनवरी, 2022 तक।

5– ग्राम/क्षेत्र/जिला विकास योजना का लक्ष्य सभी त्रिस्तरीय पंचायतों के समग्र विकास का है इस कारण तीनों स्तर की योजनाओं में पंचायती राज विभाग की गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विभागों की निम्न गतिविधियाँ/योजना सम्मिलित की जायें, जैसे–

(1) स्वास्थ्य विभाग– ग्राम पंचायत स्तर पर गठित ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (वी.एच.एस.एन.सी.) की कार्ययोजना का जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित किया जाना।

(2) शिक्षा विभाग– विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) की कार्ययोजना का जी.पी. डी.पी. में सम्मिलित किया जाना।

(3) ग्राम्य विकास विभाग– ग्राम पंचायत स्तर पर गठित स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाई जाने वाली ग्राम गरीबी न्यूनीकरण योजना (Village Poverty Reduction Plan-VPRP) को जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित किया जाना।

(4) वन विभाग– ग्राम पंचायत के वन विभाग के सहयोग से तैयार किये जाने वाले जन जैव–विविधता रजिस्टर (People's Bio-Diversity Register- PBR) संबंधी गतिविधियों तथा पंचायत की वानिकी योजना (Forestry Plan) को जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित किया जाना।

इसी प्रकार अन्य विभाग भी अपने से संबंधित गतिविधियों को प्रत्येक स्तर की कार्ययोजना में सम्मिलित करायें। प्रत्येक विभाग का स्वयं यह दायित्व होगा कि वह जनपद स्तर से ग्राम सभा की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु अधिकारी/कर्मी को नामित करें तथा विभागीय गतिविधियों को पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित करायें।

6– जन योजना अभियान वर्ष 2021–22 में जी.पी.डी.पी. निर्माण संबंधी तैयारी हेतु ग्राम सभा का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जाये।

7– ग्राम सभा के सदस्यों के बीच परामर्श कर बैठक को छोटे समूहों में आयोजित किया जा सकता है। जिसके क्रम में वार्ड सभा के अतिरिक्त बाल सभाओं तथा महिला सभाओं का आयोजन किया जाये जिससे बच्चों एवं महिलाओं की आवश्यकताओं/समस्याओं को भी कार्ययोजना में सम्मिलित किया जा सके।

8– ग्राम पंचायतें विकास के मुद्दों पर कार्य करने का संकल्प करें विशेषकर शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी विषयों पर।

9– ग्राम पंचायतों द्वारा लागू सिटिज़न चार्टर को प्रचारित किया जाये।

10– ग्राम पंचायतें जिनके पंचायत भवन में जन सूचना केन्द्र (सी.एस.सी.) की स्थापना/कोलोकेशन नहीं किया गया है वह ग्राम पंचायतें अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) में स्थापना/कोलोकेशन संबंधी गतिविधि को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करें।

11– ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण को एक अभियान के रूप में चलाते हुए ग्राम सभा के पूर्व, ग्राम सभा की अवधि में एवं ग्राम सभा के पश्चात् की जाने वाली गतिविधियों तथा अन्य कार्यों का विवरण संलग्नक–01 से 05 पर संलग्न है।

12– गतिविधियों के ससमय क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति एवं खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित विकास खण्ड स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति उत्तरदायी होगी।

13– प्रत्येक विभाग कार्यक्रम अवधि में अपने विभाग से एक नोडल अधिकारी को कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु नामित करेगा, जिसका पंजीकरण www.gpdp.nic.in पर भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, जो कि अपने विभाग से सम्बन्धित गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होगा।

14– ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना के तैयार किए जाने की अवधि में रिपोर्टिंग एवं ग्राम सभा के आयोजन हेतु ग्राम पंचायत 15वें वित आयोग के प्रशासनिक एवं तकनीकी मद से अधिकतम धनराशि रू0 2500/–तक व्यय कर सकती है।

15– रिपोर्टिंग एवं ग्राम सभा आयोजन हेतु सीमित अवधि के लिए मानव संसाधन की सेवाएं ली जा सकती है, जोकि ग्राम सभा के आयोजन, रिपोर्टिंग एवं योजना निर्माण में ग्राम पंचायत की सहायता करेगा एवं www.gpdp.nic.in पर सूचनाएं ससमय अपलोड करेगा। जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक का चयन हो गया है वहॉ पंचायत सहायक द्वारा तथा अन्य पंचायतों में ग्राम पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों/स्वयं सहायता समूह महिलाओं/ग्राम रोजगार सेवक अथवा अन्य सक्रिय स्वयंसेवी व्यक्ति में से किसी एक का चयन किया जा सकता है, चूंकि इस प्रक्रिया में जन–जागरूकता, ग्राम सभाओं का आयोजन एवं रिपोर्टिंग का कार्य ऑनलाइन किया जाना है अतः इसका विशेष ध्यान दिया जाए कि प्रक्रिया में लगाए व्यक्ति शिक्षित, कम्प्यूटर एवं स्मार्ट फोन को संचालित करने में सक्षम हो। इस प्रकार से ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप ही वर्क–आई.डी. विकसित करते

हुए ही कार्य कराए जाए, बिना वर्क आई.डी. निर्गत कराए गए कार्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेंगे। ग्राम पंचायतों द्वारा यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि वार्षिक कार्ययोजना की कुल अनुमानित लागत, वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि से 20 प्रतिशत से अधिक की न हो।

16– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी./बी.पी.डी.पी./डी.पी.डी.पी.) निर्माण प्रक्रिया को जन अभियान बनाते हुए दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 के मध्य जनपदों में योजना निर्माण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
Signed by राजेन्द्र कुमार तिवारी
Date: [illegible]-09-2021 [illegible]:11
Reason: Approved
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या–एम–11/2/2021–सीबी, दिनांक 06.08.2021 के क्रम में।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव – वित्त विभाग/ राजस्व विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग/ शिक्षा विभाग/ समाज कल्याण/ बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग/ कृषि विभाग/ दिव्यांग कल्याण विभाग/दुग्ध विकास/ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/ वन एवं पर्यावरण विभाग/ लघु सिचाईं/ लघु एवं मध्यम उद्योग/ नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग।
4. स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
9. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0
12. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Amit Srl.

सुनील कुमार, आई.ए.एस.
SUNIL KUMAR, IAS

सचिव
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

D.O. No. M-11/2/2021-CB

Dated: 06th August 2021

Dear Narendra,

As you are aware, the People's Plan Campaign (PPC) - 'Sabki Yojana Sabka Vikas' was carried out across all States/UTs from 2nd October 2020 to 31st January 2021, to enable Gram Panchayats (GPs) to prepare evidence based holistic and inclusive Panchayat Development Plans, through participatory process converging schemes of Central Ministries/Line Departments related with 29 subjects listed in the Eleventh Schedule of the Constitution. In 2020-21, the Block and District Development planning was introduced on the same principle. This Campaign was successfully conducted with active support of State Panchayati Raj Departments, Line Departments and Central Ministries.

2. I also wish to congratulate the State Governments, particularly the Panchayati Raj and Rural Development Departments for successfully completing all the key activities of the campaign exhibiting great courage and resourcefulness during these unprecedented times of Covid-19 pandemic.

3. Inspired by the visible and quite satisfactory participation of the Gram Panchayats, Block Panchayats and District Panchayats, we now need to focus on the quality of the plans:. To provide sustainability to the Panchayat Development Plan formulation process and transform it into a participative and transparent exercise, it has been decided to launch the process of preparing DPDP, BPDP and GPDP for the financial year 2022-23 again from 2nd October 2021 till 31st January 2022. Detailed timeline of the events pertaining to this campaign may be seen below:

S.No	Activity	Date
1.	Corresponding with Central line Ministries to issue necessary directions to their counterparts in States/UTs to facilitate effective participation during the process.	30th July 2021
2.	Activation of all monitoring platforms like GPDP portal etc.	5th Aug. 2021
3.	Appointment of Nodal Officers (State, District & Block level).	31st Aug. 2021
4.	Preparation of training modules for Facilitators and stakeholders.	31st Aug. 2021
5.	Appointment of facilitators for every Gram Panchayat.	5th Sep. 2021
6.	Roll out of training modules for facilitators and all stakeholders.	5th Sep. 2021
7.	Introductory workshop of related stakeholders and SNOs on PPC 2021.	10th Sep. 2021
8.	Finalization of schedule of Gram Sabha meetings.	15th Sep. 2021
9.	Workshop on Sector wise data analysis based on MA data for preparation of better convergent and comprehensive GPDP by NIRDPR.	15th Sep. 2021

Contd..

कृषि भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली–110001. KRISHI BHAWAN, DR. RAJENDRA PRASAD ROAD, NEW DELHI-110001
Tel.: 011-23389008, 23074309 • Fax: 011-23389028 • E-mail: secy-mopr@nic.in

10.	Uploading of Gram Sabha wise calendar.	20th Sep. 2021
11.	Display of Public Information Board in every GP.	30th Oct. 2021
12.	Five regional workshops on preparation of GPDP for social transformation and economic development.	From 15th Sep-30th Oct 2021
13.	Uploading of approved DPDP, BPDP & GPDP on e-GramSwaraj application.	31st Jan. 2022

4. Further to this, a National level launch cum orientation workshop may be organized for States representatives along with Ministry of Rural Development officials in 1st week of September.

5. I hope the experience gained during the last year's campaign would provide the necessary stimulus in implementing this campaign more effectively by all stakeholders. Accordingly, I shall be grateful if you could kindly provide leadership and guidance to the concerned authorities for roll out of People's Plan Campaign for formulation of DPDPs, BPDPs and GPDPs for the financial year 2022-23.

6. I wish to emphasis here that all activities of the campaign will be undertaken in full compliance of COVID 19 Guidelines - maintenance of social distancing; use of face cover/mask to cover face by all participants; maintenance of sanitation and hygiene protocol among others.

With best wishes,

Yours sincerely,

6.8.21

(Sunil Kumar)

Dr. G. Narendra Kumar,
Director General,
National Institute of Rural Development & Panchayati Raj,
NIRD Road, Police Quarters,
Rajendranagar Mandal,
Hyderabad, Telangana-500030.

संलग्नक–1

जी.पी.डी.पी. के लिए विशेष ग्राम सभा के आयोजन का एजेण्डा

"हमारी योजना हमारा विकास"

बैठक की तिथि ....

बैठक का स्थान ....

ग्राम पंचायत का नाम	एल.जी.डी.कोड...
विकास खण्ड का नाम	जिला..................................राज्य ....

- एजेण्डा : वार्षिक कार्ययोजना (वित्तीय वर्ष 2022–23) तैयार किया जाना।
- मीटिंग में सदस्यों, प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति।
- ऐजण्डा बिन्दु।

1. ग्राम पंचायतों के सरपंच/प्रधान ग्राम सभा की बैठक का उद्देश्य बताएगें।
2. ग्राम पंचायत सचिव जी.पी.डी.पी. के उद्देश्य एवं परिकल्पना पर चर्चा करेंगें।
3. सुविधादाताओं द्वारा गत् वर्ष के मिशन अंत्योदय के अन्तर्गत एकत्रित रैंकिंग पैरामीटर और डाटा की प्रस्तुति और सत्यापन किया जाना।
4. ग्राम सभा के समक्ष. स्वयं सहायता समूहों/ग्राम आधारित संस्थाओं द्वारा गरीबी से सम्बन्धित मुद्दों और गरीबी उन्मूलन की कार्ययोजना सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण करना।
5. मिशन अंत्योदय में सर्वे के दौरान प्राप्त कमियों पर ग्राम सभा में चर्चा करना तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तीन वर्गों जैसे अतिआवश्यक, आवश्यक, वांछित में बांटा जाना।
6. सम्बन्धित विभागों के कर्मचारियों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 जी की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों में से ग्राम पंचायत में समायोजित विषयों पर प्रस्तुतीकरण करना।

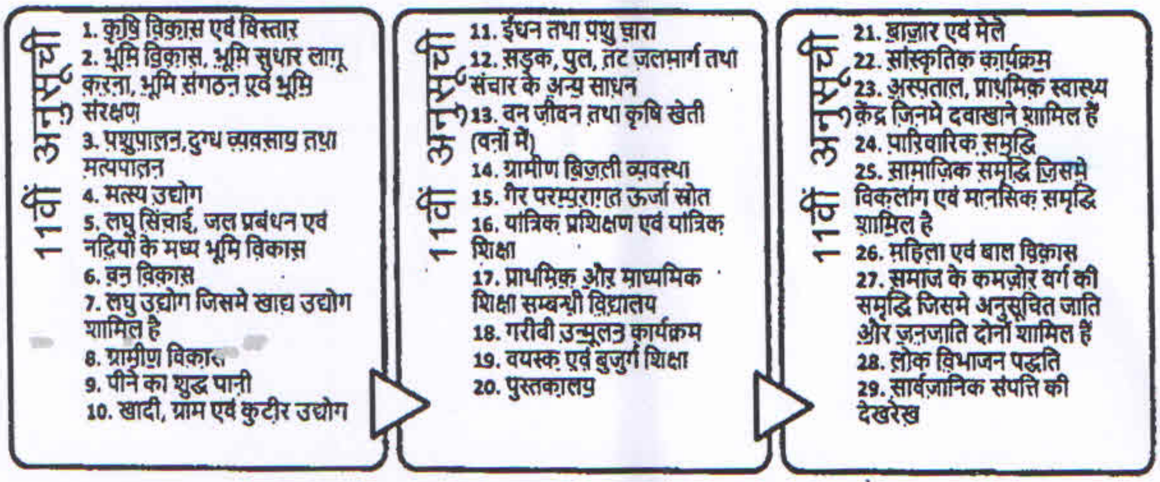

संविधान के अनुच्छेद 243जी के अनुसार 29 विषयों की सूची–

7. वर्तमान वर्ष की गतिविधियों और फंड उपयोग की समीक्षा।

8. वित्तीय वर्ष 2022–23 में ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा।

9. ग्राम सभा में कमियों (GAP) के कारणों पर चर्चा कर सकती है और कमियों को दूर करने हेतु गतिविधियों का प्रस्ताव दे सकती है।

10. ग्राम पंचायत में पायी गयी कमियों के आधार पर ग्राम सभा गतिविधियों की प्राथमिकता तय करते हुए उन्हें जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित कर सकती है जैसे की सम्पत्ति का निर्माण एवं रख–रखाव, कम लागत/बिना लागत (उदाहरण–समुदाय को 100 प्रतिशत टीकाकरण के लिए प्रेरित करना, स्कूलों में 100 प्रतिशत नामांकन, ओ.डी.एफ./ओ.डी.एफ. प्लस, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक विषयों पर जागरूकता आदि)।

11. पंचायत की कमियों का विश्लेषण एवं प्राथमिकता निर्धारित करने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित करने वाली गतिविधियों को अंतिम रूप देना।

12. ग्राम सभा विकास सम्बन्धी गतिविधियों की प्राथमिकता सूची पर एक प्रस्ताव पारित करेगी। यह प्रस्ताव ग्राम सभा के सामने पढ़ा जायेगा और तदनुसार दस्तावेजीकरण किया जायेगा।

13. www.gpdp.nic.in पर ग्राम सभा की जियोटैग फोटो अपलोड किये जायेगें।

14. सार्वजनिक सूचना बोर्ड के फोटो भी जियोटैग किये जायेगें।

संलग्नक–2

जी.पी.डी.पी. के लिए विशेष ग्राम सभा के दौरान ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारी एवं सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति विवरण का प्रारूप

"हमारी योजना हमारा विकास"

विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा किये जाने वाले प्रस्तुतीकरण हेतु चर्चा के बिन्दु :–

1. विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने विभाग की योजना का संक्षिप्त परिचय देते हुए योजना अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया, पात्रता एवं लाभ के विषय में विस्तार से बताया जाएगा, साथ ही योजना में ग्राम पंचायत की भूमिका एवं जी.पी.डी.पी. में समावेश करने की आवश्यकता को भी प्रस्तुत करेंगें।

क्र.सं.	योजना का नाम	योजनान्तर्गत अनुमोदित गतिविधियाँ	लाभार्थी चयन हेतु पात्रता के मापदंड	योजना के लाभ/मिलने वाले अधिकार

2. वर्ष 2021–22 में ली गयी गतिविधियाँ एवं प्रगति समय–सीमा –

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	लाभार्थियों की सूची	गतिविधिवार प्रगति						
			प्रगति			समय–सीमा		व्यय धनराशि का विवरण	
			गतिविधि पूर्ण	प्रक्रियाधीन	अभी प्रारम्भ नहीं	निर्धारित समय–सीमा	वास्तविक समय–सीमा	प्राविधानित	व्यय

3. वर्ष 2022–23 में ली गयी गतिविधियों का विवरण–

क्र.सं.	गत् वर्ष की प्रस्तावित गतिविधियाँ	नयी प्रस्तावित गतिविधियाँ	प्रस्तावित कार्यवाही योजना

4. प्रारुप की एक प्रति विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की बैठक के दौरान सौंप दी जायेगी।

संलग्नक–3

ग्राम सभा की बैठक आयोजन हेतु आवश्यक सम्भावित दस्तावेजों की सूची

1. ग्राम सभा की बैठक आयोजन का एजेण्डा।
2. ग्राम पंचायत में जन्म एवं मृत्यु का विवरण।
3. ग्राम पंचायत का पारिस्थितिकी विश्लेषण/ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्राप्त सामाजिक आर्थिक विश्लेषण की रिपोर्ट।
4. वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना/जी.पी.डी.पी. का विवरण।
5. ग्राम पंचायत द्वारा विगत वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि एवं कराए गए कार्यों का विवरण।
6. ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों (रिसोर्स एनवलप) का विवरण (मानव संसाधन/ग्राम निधि/स्वयं की आय/स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त धनराशि/सी.एस.आर./विधायक निधि/सांसद निधि अथवा अन्य किसी योजना से प्राप्त धनराषि)
7. ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निर्देशों की प्रति।

संलग्नक–4

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने का प्रारूप/दस्तावेज में सम्मिलित होने वाले विभिन्न आवश्यक विषय

1. अनुक्रमणिका
2. प्रस्तावना (ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता एवं ग्राम पंचायत द्वारा किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण)
3. ग्राम पंचायत का संक्षिप्त परिचय (ग्राम पंचायत की पृष्ठभूमि, ग्राम पंचायत की प्रोफाइल, संरचनात्मक एवं भौतिक उपलब्धियों का विवरण–प्रोफाइल का प्रारूप विभागीय वेबसाइट के शासनादेश सं0. 2618/सी.एस./33–3–2015, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 में उपलब्ध हैं)। ग्राम पंचायत का विजन स्टेटमेंट (ग्राम पंचायत की सोच एवं समाज के प्रति दृष्टिकोण)।
4. ग्राम पंचायत का पारिस्थितिकी विश्लेषण/ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्राप्त सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण की रिपोर्ट।
5. बैठक का कार्यवृत्त एवं प्रतिभागियों की सूची।
6. ग्राम पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना में प्राथमिकता में लिए गए कार्यों का विवरण (कार्यों के विवरण में कार्यों में आने वाला व्यय, आय के स्त्रोत, निर्मित परिसम्पत्ति का विवरण, कम लागत/बिना लागत के कार्यों का विवरण, क्षेत्रवार विवरण भी आवश्यक रूप से सम्मिलित रहेगा। (प्रारूप सम्बन्धी विवरण विभागीय वेबसाइट के शासनादेश संख्या–2618/सी.एस./33–3–2015, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 में उपलब्ध है)।
7. कार्यवार विवरण के साथ आपेक्षित परिणामों को भी ग्राम पंचायत विकास योजना का भाग बनाया जाना चाहिए।
8. सहभागी नियोजन हेतु किए गए मानचित्रीकरण अथवा अन्य पी.आर.ए. गतिविधियों की प्रति।
9. ग्राम सभा की बैठक की फोटोग्राफ की प्रतियाँ।

संलग्नक–5

जनपद द्वारा नामित स्वयं सहायता समूह/टास्क फोर्स/अन्य सदस्य का रिपोर्टिंग प्रारूप

क्र.सं.	कार्यक्षेत्र	टिप्पणी
1	ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या	
2	ग्राम सभा में उपस्थित अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या	
3	ग्राम सभा में उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या	
4	ग्राम सभा में उपस्थित स्वयं सहायता समूह सदस्यों की संख्या	
5	ग्राम सभा में उपस्थित महिलाओं की संख्या	
6	विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग एवं प्रस्तुतीकरण किया जाना	
6.1	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0	
6.2	ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0	
6.3	कृषि विभाग, उ0प्र0	
6.4	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0	
6.5	महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उ0प्र0	
6.6	ऊर्जा विभाग, उ0प्र0	
6.7	रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग, उ0प्र0	
6.8	पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन विभाग उ0प्र0 अन्य	
7	मिशन अन्तोदय अन्तर्गत एकत्रित डेटा की प्रस्तुति एवं पुष्टि	
8	स्वयं सहायता समूह द्वारा गरीबी सम्बन्धित मुद्दों एवं गरीबी उन्मूलन की योजना का प्रस्तुतीकरण	
9	जी0पी0डी0पी0 पर विचार–विमर्श	
9.1	वर्तमान वर्ष में हुई गतिविधियों एवं बजट के उपयोग की समीक्षा	
9.2	ग्राम पंचायत को वर्ष 2022–2023 में सम्भवतः उपलब्ध होने वाले संसाधनों पर चर्चा	
10	मिशन अन्तोदय सर्वेक्षण के दौरान पायी गयी कमियों एवं उन्हें कम करने हेतु प्रस्तावित हस्तक्षेपों पर चर्चा	
10.1	जी0पी0डी0पी0 पर पारित संकल्प का ग्राम सभा द्वारा दर्ज किया जाना	
10.2	प्रगति में ग्राम सभा की फोटो को जियोटैग करना	
10.3	सार्वजनिक सूचना बोर्ड की फोटो को जियोटैग करना	

नोटः–सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति/अनुपस्थिति टिप्पणी में दर्ज की जायेगी।